रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26112020-223314
CG-MH-E-26112020-223314

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 2020/ अग्रहायण 4, 1942
No. 526] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2020/AGRAHAYANA 4, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 4 नवम्बर, 2020

सं. टीएएमपी/06/2020-सीडब्ल्यूसी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, दीनदयाल पत्तन न्यास(डीपीटी) में कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) पर प्रदान की गई सेवाओं से संबद्ध दरमानों में प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के तहत सामान्य संशोधन के लिए केंद्रीय भंडारागार निगम (सीडब्ल्यूसी) से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करते हुए, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार संशोधित दरमान अधिसूचित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/06/2020-सीडब्ल्यूसी

केन्द्रीय भंडारागार निगम ----- आवेदक

कोरम

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य(वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर,सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(अक्तूबर 2020 के 28वें दिन पारित)

यह मामला प्रशुल्क दिशानिर्देश , 2019 के तहत दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) के कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) में इसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए दरों के सामान्य संशोधन के लिए केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. सीडब्ल्यूसी ने प्रशुल्क नीति, 2019 का अनुपालन दिनांक 02 जनवरी 2020 और 29 फरवरी 2020 के अपने पत्र में सीडब्ल्यूसी के एसओआर में सामान्य संशोधन का प्रस्ताव दायर किया है।

2.2. निर्धारित परामर्श प्रक्रिया के अनुसार, सीडब्ल्यूसी के दिनांक 29 फरवरी 2020 के ई-मेल सिहत दिनांक 02 जनवरी 2020 के प्रस्ताव की एक प्रति उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता संगठनों को उनकी टिप्पणी के लिए परिचालित कर दी गई थी।

2.3. इस मामले में 26 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी। प्रस्ताव की जांच करने पर, सीडब्ल्यूसी से हमारे दिनांक 01 जुलाई 2020 के ईमेल और बाद में दिनांक 28 जुलाई 2020 के पत्र और 14 अगस्त 2020 के स्मरण-पत्र में कुछ बिंदुओं पर जानकारी / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था ।

2.4. इसके जवाब में, सीडब्ल्यूसी ने अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण पर अपना उत्तर दे दिया है, जिसमें उनके 18 अगस्त 2020 के पत्र के तहत सीए द्वारा प्रमाणित अद्यतन सूचना भी शामिल हैं।

2.5. सीडब्ल्यूसी ने, सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए मूल प्रस्ताव में 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए विचारित लागत विवरण के स्थान पर, वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए वास्तविक अद्यतित लागत विवरण प्रस्तुत किये हैं।

3. इसके अलावा, हमारे दिनांक 01 जुलाई 2020 के पत्र के द्वारा डीपीटी से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रस्तुत अद्यतित लागत विवरण के संदर्भ में टिप्पणी/सूचना प्रस्तुत करें। सीडब्ल्यूसी द्वारा अपने 18 अगस्त 2020 के पत्र के तहत भेजी गई अद्यतन विवरणी के जवाब में, डीपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 11 सितंबर 2020 को हमारे द्वारा मांगी गई जानकारी/टिप्पणियों को प्रस्तुत किया है।

4. मामले के प्रसंस्करण के दौरान एकत्र की गई जानकारी की समग्रता के संदर्भ में, इस प्राधिकरण ने प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के तहत अपने एसओआर के सामान्य संशोधन के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा दायर प्रस्ताव संबंधी एक 'स्पीकिंग ऑर्डर' पारित किया है।

5.1. इस प्राधिकरण द्वारा पारित 'स्पीकिंग ऑर्डर' भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया में है और अधिसूचना जारी होने में कुछ और समय लगने की संभावना है। चूंकि विस्तृत 'स्पीकिंग ऑर्डर' की अधिसूचना में कुछ समय लगेगा, यह प्राधिकरण सीडब्ल्यूसी के संशोधित दरमानों(एसओआर) को अधिसूचित करता है जो अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

5.2. इस प्राधिकरण द्वारा पारित 'स्पीकिंग ऑर्डर' को अलग से अधिसूचित किया जाएगा और सीडब्ल्यूसी, डीपीटी और संबंधित उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता संगठनों को उचित समय पर सूचित किया जाएगा।

5.3. भारत के राजपत्र में एसओआर को अधिसूचित करने वाले इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद, संशोधित एसओआर लागू हो जाएंगे और संशोधित एसओआर लागू होने की तारीख से 3 साल की अवधि तक के लिए वैध रहेंगे।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./ 386 /2020-21]

अनुलग्नक

केंद्रीय भंडारागार निगम

(सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन)

दरमान

इन दरमानों में दीनदयाल पत्तन न्यास में कंटेनर फ्रेट स्टेशन पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं के लिए केंद्रीय भंडारागार निगम को देय शुल्क निर्धारित किए गए हैं।

सामान्य नियम और शर्तें।

(1). (i). इन दरमानों के तहत किसी भी शुल्क के विलंबित भुगतान पर उपयोगकर्ता को 15% की दर से दंडात्मक ब्याज (जुर्माना)का भुगतान करना होगा। इसी तरह, सीडब्ल्यूसी विलंबित वापसी(रिफंड) पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगा।

(ii). वापसी(रिफंड) में देरी को, सेवाओं के पूरा होने की तारीख से 20 दिन के बाद से या उपयोगकर्ताओं से अपेक्षित सभी दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर, जो भी बाद वाली तिथि हो, से गिना जाएगा।

(iii). सीडब्ल्यूसी द्वारा बिलों के जारी होने की तारीख के 10 दिन बाद वाली तिथि से ही उपयोगकर्ताओं द्वारा भुगतान में देरी को गिना जाएगा। हालांकि, यह प्रावधान उन मामलों में, जिनमें, महापत्तन न्यास अधिनियम और / या इन दरमानों के अनुसार, जहां शुल्क का भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने से पहले अग्रिम रुप से किया जाना निर्धारित है लागू नहीं होता है।

(2). परित्यक्त एफसीएल कंटेनरों / पोत के स्वामित्व वाले कंटेनरों पर संग्रहण/भंडारण शुल्क परित्याग की लिखित में प्राप्ति की तारीख तक या कंटेनर की लैंडिंग की तारीख से 75 दिनों तक, जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन लगाया जाएगा:

(i). परेषिती किसी भी समय परित्याग(कंटेनर के) का पत्र जारी कर सकता है।

(ii). यदि परेषिती परित्याग के ऐसे पत्र को जारी नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो कंटेनर एजेंट / एमएलओ परित्याग पत्र को इस शर्त के अधीन जारी कर सकता है कि,

(क). लाइन कार्गो सहित कंटेनर का कब्जा ले लेगी और या तो इसे वापस ले जाएगी या पत्तन परिसर से हटा देगी; तथा

(ख). लाइन कंटेनर को अपने कब्जे में लेने से पूर्व कार्गो और कंटेनर पर लगने वाले सभी पत्तन शुल्कों का भुगतान करेगी।

(iii). कंटेनर एजेंट / एमएलओ आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करेगा और परिवहन और उसे खाली करने/हटाने की लागत वहन करेगा। निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी कार्रवाई करने में उनकी विफलता की स्थिति में, जब तक कार्गो को खाली करने/हटाने के लिए शिपिंग लाइनों द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक कंटेनर पर संग्रहण/भंडारण शुल्क लगाया जाना जारी रहेगा।

(iv). जहां कंटेनर को सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा अपने कब्जे में / जब्त कर लिया गया है और उसे 75 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर नष्ट नहीं किया जा सकता है, आवश्यक औपचारिकताओं को देखने वाली लाइनों के लिए संग्रहण/भंडारण शुल्क कार्गो विषय के सीमा शुल्क आदेश जारी करने की तारीख से लागू नहीं होगा बशर्ते परिवहन और हटाने की लागत वहन किए जाएंगे अन्यथा, लाइन्स / कनसाइनी द्वारा कब्जाए / जब्त किए गए कंटेनरों को पत्तन परिसर से सीमा शुल्क/प्रतिबंधित क्षेत्र में हटा दिया जाना चाहिए और उस मामले में संग्रहण/भंडारण शुल्क ऐसे निष्कासन की तारीख से लागू नहीं होगा।

(3). उपयोगकर्ताओं को सीडब्ल्यूसी के कारण उचित स्तर से अधिक देरी के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(4). ये दरमान(एसओआर) संबंधित वर्ष की पहली जनवरी से 31 दिसंबर के बीच प्राधिकरण द्वारा घोषित थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60% की सीमा तक मुद्रास्फीति के लिए स्वचालित वार्षिक सूचकांकन के अध्याधीन है। इस तरह के समायोजित एसओआर प्रासंगिक वर्ष के 1 मई से अगले वर्ष के 30 अप्रैल तक लागू होंगे। प्रथम वार्षिक सूचकांक 1 मई, 2021 से होगा। सूचकांकित दरमान, सीडब्ल्यूसी द्वारा डीपीटी, संबंधित उपयोगकर्ताओं और प्राधिकरण को सूचित किये जाएंगे।

अध्याय 1

भू-किराया और संग्रहण/भंडारण शुल्क

1.1. संग्रहण/भंडारण शुल्क

क्रम सं.	सेवा का विवरण	दर (रूपये)
क.	**आयात संचालन**	
I.	**संग्रहण/भंडारण शुल्क (आच्छादित)**	
(i).	**सामान्य आधार (प्रति एमटी / दिन)**	
(क).	3 दिन तक	निशुल्क
(ख).	चौथे दिन से 30 वें दिन तक	6.65
(ग)	31वें दिन बाद	9.30
(ii).	**क्षेत्रीय आधार (प्रति वर्ग मीटर)**	
(क).	साप्ताहिक शुल्क (प्रति वर्ग मीटर) प्रति सप्ताह *)	66.00
(ख).	मासिक (आरक्षण आधार) (प्रति वर्ग मीटर प्रति माह) *	226.00
II.	**खुले आधार पर**	
(i).	क्षेत्रीय आधार(प्रति वर्ग मीटर)	

(क).	निशुल्क अवधि	कोई निशुल्क अवधि नहीं
(ख).	साप्ताहिक शुल्क (प्रति वर्ग मीटर) प्रति सप्ताह *)	30.00
(ग)	मासिक (आरक्षण आधार पर) (प्रति वर्ग मीटर प्रति माह) *	100.00
ख.	**निर्यात संचालन**	
I.	**संग्रहण/भंडारण शुल्क (आच्छादित)**	
(i).	**सामान्य आधार (प्रति एमटी / दिन)**	
(क).	निशुल्क अवधि	7 दिन तक
(ख).	8 वें दिन से आगे	6.65
(ii).	**क्षेत्रीय आधार (प्रति वर्ग मीटर)**	
(क).	साप्ताहिक शुल्क (प्रति वर्ग मीटर) प्रति सप्ताह *)	66.00
(ख).	मासिक (आरक्षित आधार) (प्रति वर्ग मीटर प्रति माह) *	226.00
(iii).	**आयतन आधार (प्रति क्यूबिक मीटर) (खुला)**	
(क).	साप्ताहिक आधार (प्रति सप्ताह प्रति क्यूबिक मीटर *)	15.00
(ख).	मासिक आधार (प्रति माह क्यूबिक मीटर *)	60.00

* शुल्क "प्रति वर्ग मीटर/सप्ताह या महीने या उसके आधार पर" लिया जाएगा ।

नोट:

(1) निर्यात कार्गो की भराई के लिए 7 दिनों की निशुल्क अवधि की अनुमति दी जाएगी।

(2) निशुल्क दिनों की गिनती करते समय सीमा शुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित अवकाश और सीएफएस के गैर-परिचालन दिनों के बीच में आ जाने पर उनकी निशुल्क अवधि में गणना नहीं की जाएगी।

(3). यह माना जाएगा कि संग्रहण/भंडारण के दौरान सीएफएस, दीनदयाल पत्तन' पर प्राप्त स्टॉक को सीमा शुल्क के हितों सहित सभी संभावित जोखिमों के लिए उपयोगकर्ता द्वारा पर्याप्त रूप से बीमा किया गया है। इस प्रकार, किसी भी स्थिति में, सीडब्ल्यूसी परिणामी नुकसान सहित किसी भी बीमा योग्य दावे / जोखिम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। निर्यात माल गोदामों के लिए भी वही धारणा लागू होगी।

हालांकि, अगर आग, बाढ़, चक्रवात, चोरी, आदि के जोखिम के लिए किसी भी पक्ष द्वारा बीमा लाभ की मांग होती है, तो सीडब्ल्यूसी, सीएफएस, कांडला द्वारा लिखित अनुरोध पर इसकी व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए स्टॉक के प्रति 1000/- रूपये मूल्य के लिए 12.50 पैसे प्रति सप्ताह या उसके भाग की दर पर एडवेलोरम शुल्क प्रभारित होगा ।

(3) उपयोगकर्ताओं के अनुरोध पर खुले क्षेत्र में संग्रहीत कार्गो के लिए, संग्रहण/भंडारण शुल्क आच्छादित क्षेत्र के लिए निर्धारित दर से 25% कम होगा।

(4) खतरनाक माल के लिए 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

(6). सीडब्ल्यूसी जब उपयोगकर्ता द्वारा आवश्यक होने पर आयात/निर्यात कार्गो को वितरित/ स्थानांतरित करने की स्थिति में नहीं होगा तो कार्गो पर संग्रहण/भंडारण शुल्क उस अवधि के लिए प्रभारित नहीं होगा।

(7). संग्रहण/भंडारण कार्रवाई के संबंध में कार्गो और अन्य संबद्ध कारकों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, धातु स्क्रैप के लिए संग्रहण/भंडारण शुल्क, क्षेत्रीय आधार पर और पत्थर आदि के लिए पीएमटी आधार पर प्रभार्य होंगे।

1.2. भूमि किराया

भरा हुआ और खाली

क्रम सं.	सेवा का विवरण	दर प्रति कंटेनर प्रति दिन (रूपये)
1.	**आयात संचालन**	
(i).	**भू-किराया (भरा हुआ कंटेनर)**	

	(प्रति टीईयू / प्रति दिन के आधार पर)	
(क).	1 से 5 दिन	पंहुच की तिथि सहित – निशुल्क
(ख).	6 से 15 दिन	190.00
(ग)	16 से 30 दिन	250.00
(घ).	31वें दिन से आगे	500.00
2.	**निर्यात संचालन**	
(i).	**भू-किराया (भरा हुआ कंटेनर)** **(प्रति टीईयू / प्रति दिन के आधार पर)**	
(क).	1 से 3 दिन	निशुल्क
(ख).	4 दिन से 15 दिन	190.00
(ग)	16वें दिन से आगे	250.00
3.	**भू-किराया (खाली कंटेनर)** **(प्रति टीईयू / प्रति दिन के आधार पर)**	
(क).	खाली पीरियड	30 दिन
(ख).	31 वें दिन से 40 दिन तक	10.00
(ग)	41वें दिन से आगे	30.00

एफईयू प्रशुल्क टीईयू प्रशुल्क का दोगुना होगा।

नोट:

1) सीडब्ल्यूसी, सीएफएस में सभी खाली कंटेनरों का संग्रहण/भंडारण 30 दिनों तक निशुल्क किया जा सकेगा ।

2) कंटेनर की भराई और / या सील करने के बाद निर्यात कंटेनरों पर तीन दिनों की निशुल्क अवधि की अनुमति है।

3) सीएफएस में डीपीटी से लाए गए आयात कंटेनरों के लिए कंटेनर के आगमन की तारीख सहित पांच दिनों की निशुल्क अवधि की अनुमति दी जाएगी।

4) निशुल्क दिनों की गिनती करते हुए, सीमा शुल्क अधिसूचित अवकाश और सीएफएस के गैर-परिचालन दिनों की, निरंतर बीच में या पीछे आ जाने पर उनकी निशुल्क अवधि में गणना नहीं की जाएगी।

5) भू-किराए के अतिरिक्त रीफर प्लगिंग सुविधा शुल्क रू.275/ -प्रति टीईयू और रूपये 400 प्रति एफईयू प्रति 4 घंटे या उसके किसी भाग की दर से प्रभारित होगा ।

6) यह माना जाएगा कि सीएफएस, दीनदयाल पत्तन' पर प्राप्त स्टॉक को सीमा शुल्क के हितों सहित संग्रहण/भंडारण के दौरान सभी संभावित जोखिमों के लिए, उपयोगकर्ता द्वारा पर्याप्त रूप से बीमा किया गया है। इस प्रकार, किसी भी स्थिति में, परिणामी नुकसान सहित किसी भी बीमा योग्य दावे / जोखिम के लिए सीडब्ल्यूसी जिम्मेदार नहीं होगा। निर्यात माल गोदामों के लिए भी यही एक अवधारणा लागू होगी।

हालाँकि, अगर आग, बाढ़, चक्रवात, चोरी आदि के जोखिम के लिए किसी भी पक्ष द्वारा बीमा लाभ की मांग होती है, तो सीडब्ल्यूसी, सीएफएस, कांडला द्वारा एक लिखित अनुरोध पर इसकी व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए स्टॉक के प्रति 1000/- रूपये मूल्य के लिए 12.50 पैसे प्रति सप्ताह या उसके भाग की दर पर एडवेलोरम शुल्क प्रभारित होगा ।

7) खतरनाक कार्गो कंटेनर / ओवरसाइज़्ड / ओवर डायमेंशनल कंटेनर पर 25% अतिरिक्त शुल्क प्रभार्य होगा ।

8) कंटेनर पर ग्राउंड किराया उस अवधि के लिए प्रभारित नहीं होगा जब सीडब्ल्यूसी सीडब्ल्यूसी के लिए जिम्मेदार कारणों के लिए आयात / निर्यात कंटेनरों को वितरित / स्थानांतरित करने की स्थिति में नहीं होगा।

अध्याय - II

कंटेनर / कार्गो प्रहस्तन और परिवहन

क्रम सं.	प्रचालनों का विवरण	दर (रूपये)
क.	**आयात संचलन**	
(i).	आयात संचलन + एलओ: ठेकेदार द्वारा ताला एवं सील और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने पर कंटेनर की स्थिति का उचित निरीक्षण करने के बाद, कंटेनर यार्ड, कांडला पत्तन पर सड़क वाहन उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराए गए वाहनों पर टर्मिनल ऑपरेटरों द्वारा लोड किए गए कंटेनरों को लेना, पत्तन (सीमा-शुल्क एस्कॉर्ट के तहत परिवहन करना कंटेनर फ्रेट स्टेशन, सीडब्ल्यूसी, कांडला में जहां भी / जब भी आवश्यक हो), तीन उच्चता तक/से उतारना (लिफ्ट-ऑफ) और सीवाई में स्टैकिंग [जैसा कि क्लॉज नंबर XXI1 में उल्लिखित है।	
	टीईयू	2800
	एफईयू	4200
(ii).	रिक्तीकरण: निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कंटेनर का रिक्तीकरण(डी-स्टर्फिंग); माल को सूचीबद्ध करना और आयात गोदाम / ओपन यार्ड (अधिमानतः यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से) में स्टैकिंग और उसी सीएफएस कॉम्प्लेक्स के भीतर ईसीवाई या किसी अन्य निर्दिष्ट क्षेत्र में खाली कंटेनर ले जाने और उन्हें तीन उच्चता तक(एक के ऊपर एक) लगाना (खंड सं. XXI-(2) में किए गए उल्लेखानुसार चाहे विभन्न प्रचालनों में कितना भी समय लगे)	
(क).	सामान्य कार्गो	
	टीईयू	3000
	एफईयू	4500
(ख).	स्क्रैप/ भारी कार्गो	
	टीईयू	3800
	एफईयू	5700
(iii).	जांच: सीमा-शुल्क जांच की सुविधा के लिए प्रांगण में रखे गए भरे हुए कंटेनर को नीचे उतार कर सामान बाहर निकालना(जिसमें परिसर के भीतर परिवहन भी शामिल हो सकता है) और कार्गो की अपेक्षित सीमा-शुल्क जांच के बाद सामान को उसी कंटेनर या किसी अन्य कंटेनर में वापस भरना या कार्गो अथवा कंटेनर को ले जाने के लिए सड़क वाहनों पर लादना और भरे हुए/खाली कंटेनर को एलसीवाई / ईसीवाई या किसी अन्य निर्दिष्ट क्षेत्र में जैसी भी स्थिति हो रखवाना जैसा कि क्लॉज नं. XXI-3 (क)] में उल्लेखित है ।	
(क).	सामान्य कार्गो	
	25% तक कार्गो प्रहस्तन जांच	
	टीईयू	1600
	एफईयू	2400
(ख).	25% से अधिक कार्गो प्रहस्तन जांच	
	टीईयू	2200
	एफईयू	3300
(ग).	स्क्रैप / भारी माल	
	टीईयू	2600
	एफईयू	3900

(iv).	आरएमएस कंटेनर जांच: सील सत्यापन के लिए यार्ड में रखे हुए भरे हुए कंटेनर को सील सत्यापन की सुविधा के लिए जमी पर रखना (जिसमें परिसर में परिवहन भी शामिल है) और ट्रेलर पर लादे जाने सीमा शुल्क द्वारा निप्टाए गये ट्रेलर में लादने के लिए पुनर्प्राप्ति। जैसा कि खंड XXI-3 (ख) में उल्लिखित है]	
	टीईयू	2500
	एफईयू	3750
(v).	कार्गो संवितरण: कार्गो के लिए सीमा-शुल्क जांच की व्यवस्था करना (जिसमें पैकेज की अनपैकिंग और री-पैकिंग करना, उपयुक्त पट्टियाँ आदि प्रदान करना, या भार देना, जहाँ भी आवश्यक हो, निशुल्क सील करना), और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें स्टैक करना/ ओपन यार्ड में रखना शामिल है, और पूरी खेप को आयात भंडारागार / खुले यार्ड में आयातक / सीएचए द्वारा प्रदान किए गए ट्रकों / वाहनों में लादना[जैसा कि खंड संख्या .XXI (4) में उल्लिखित है।	
(क).	गोदाम/प्रांगण से कार्गो संवितरण	प्रति क्विंटल
	श्रमिक माध्यम से	8.20
	यंत्रों द्वारा	10.20
(ख).	भरे हुए कंटेनर से कार्गो संवितरण	
	श्रमिक माध्यम से	8.20
	यंत्रो द्वारा	10.20
ख.	**निर्यात संचालन**	
(i).	ढुलाई(कार्टिंग): सीडब्ल्यूसी, सीएफएस कॉम्प्लेक्स में सीएचए / निर्यातक / उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान किए गए ट्रकों / वाहनों से माल उतारना, उपयुक्त यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से या किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से अपेक्षित सूची बनाते हुए निर्यात गोदाम/खुले प्रांगण में उसी को स्टैक करना, [जैसा कि खंड संख्या XXI (5) में उल्लिखित है]	
	श्रमिक माध्यम से (प्रति क्विंटल)	8.20
	यंत्रों द्वारा (प्रति क्विंटल)	10.20
(ii).	**जांच, भराई(स्टफिंग):** श्रमिक माध्यम या उपयुक्त उपकरण प्रदान करना और सीमा-शुल्क जांच की व्यवस्था करना (जिसमें उपयुक्त पट्टियाँ / तराजू या जहाँ भी / जब भी आवश्यक हो, पुन: स्टैकिंग प्रदान करते हुए पैकेजों की पैकिंग और पुनः पैकिंग शामिल होगी) और समेकित करना स्टॉक / कार्गो, सीएफएस कंटेनर यार्ड से समान प्राप्त करने के बाद नामांकित खाली कंटेनर को स्थानांतरित करना, कंटेनर की भराई, भराई और सील करना और उसके बाद भराई के उद्देश्य के लिए अगला कंटेनर रखने हेतु स्थान उपलब्ध कराने के लिए भरे हुए कंटेनर का आंतरिक संचलन [जैसा कि क्लॉज नं। XXI (6) में उल्लेखित है]	
(क).	क. सामान्य कार्गो	
	टीईयू	3000
	एफईयू	4500
(ख).	ख. स्क्रैप/भारी कार्गो	
	टीईयू	4560
	एफईयू	6840
(iii).	सीधी भराई: सीएफएस कॉम्प्लेक्स में वाहनों से कार्गो को उतारना और उचित सूची बनाने के बाद उपयुक्त यांत्रिक उपकरण या किसी अन्य उपयुक्त साधन के द्वारा यार्ड में समान को स्टैक करना। सीमा शुल्क जांच के लिए श्रम या उपयुक्त उपकरण प्रदान करना (जिसमें जब भी / जहां भी आवश्यक हो, तब तक का वज़न शामिल होगा), और नामांकित स्टॉक / कार्गो को समेकित करना, सीएफएस कंटेनर यार्ड से समान प्राप्त करने के बाद नामांकित खाली कंटेनर को स्थानांतरित करना, कंटेनर को भराई वाले स्थान (स्टफिंग प्वांयट) पर रखना, उपयुक्त यांत्रिक उपकरणों के उपयोग द्वारा नामित कंटेनर में लेट-एक्सपोर्ट कार्गो को भरना या अन्य तरीकों से, निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के	

	बाद आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने पर कंटेनर को लॉक करना और सील करना, भराई के उद्देश्य से अगले कंटेनर रखने के लिए पहले भरे गए कंटेनर के आंतरिक संचलन के लिए स्थान उपलब्ध कराना। [जैसा कि खंड संख्या XXI (7) में उल्लिखित है]	
(क).	क. सामान्य कार्गो	
	टीईयू	3500
	एफईयू	5250
(ख).	ख. स्क्रैप/ भारी कार्गो	
	टीईयू	6000
	एफईयू	9000
(iv).	निर्यात हेतु भरे हुए कंटेनर का परिवहन: सीडब्ल्यूसी-सीएफएस कांडला पत्तन' पर सड़क वाहन उपलब्ध कराना, उठाना(लिफ्ट-ऑन), निर्यात हेतु भरे हुए कंटेनर को ले जाना और सीएफएस से सीएसवाई, कांडला पत्तन तक (जहां भी/जब भी आवश्यक हो/सीमा-शुल्क एस्कॉर्ट के तहत) परिवहन और उसे पत्तन के अधिकारियों को सौंपना,स्पष्ट "इक्विपमेंट इंटरचेंज रिर्पोट" (ईआईआर) की प्राप्ति और उसे सीडब्ल्यूसी-सीएफएस अधिकारियों को जमा करना [जैसा कि क्लॉज नंबर XXI (8) में उल्लिखित है।	
	टीईयू	2300
	एफईयू	3450
(v).	**सामान्य संचालन**	
	खाली कंटेनर का संचलन : कंटेनर की स्थिति के बारे में उचित निरीक्षण के बाद (क) सीएसवाई कांडला पत्तन न्यास से सीडब्ल्यूसी–सीएफएस कांडला पत्तन तक (ख)किसी भी सीएफएस/कंटेनर यार्ड से सीएफएस कांडला पत्तन से, सीडब्ल्यूसी कांडला पत्तन तक 15 किलोमीटर की दूरी के लिए,(सीएसवाई कांडला पत्तन /अन्य नामित यार्ड के अंदर लदान/उतराई ठेकेदार के खाते पर नहीं होगी) सीडब्ल्यूसी – सीएफएस,सीवाई में तीन उच्चता तक स्टेकिंग या इसके विपरीत उतारना(लिफ्ट ऑफ) [जैसा कि क्लॉज नंबर XXI (9) में उल्लिखित है।	
(क).	**सीएफएसएस से कांडला पत्तन-आना/जाना**	
	टीईयू	1100
	एफईयू	1650
(ख).	**किसी भी यार्ड से/तक 15 किलोमीटर की दूरी के अंदर (< 15 कि.मी.)**	
	टीईयू	1900
	एफईयू	2850
(vi).	अंतर्देशीय कंटेनर शिफ्टिंग: सीडब्ल्यूसी-कंटेनर फ्रेट स्टेशन परिसर(कॉम्प्लेक्स) के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपयुक्त प्रहस्तन उपकरणों के उपयोग द्वारा खाली/भरे हुए लोडेड कंटेनरों का, निर्धारित स्थान पर तीन उच्चता स्तरों तक स्टैकिंग सहित स्थानांतरण (लिफ्ट ऑन / लिफ्ट-ऑफ सहित) [जैसा कि खंड संख्या XXI (10) में उल्लिखित है]	
(क).	खाली कंटेनर	
	टीईयू	1000
	एफईयू	1500
(ख).	भरा हुआ कंटेनर	
	टीईयू	1400
	एफईयू	2100

(vii).	कंटेनर फ्रेट स्टेशन, सीडब्लयूसी , दीनदयाल पत्तन पर पार्टियों के सड़क वाहनों में / से कंटेनरों का लदान/उतराई **(लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ): (री-ट्रीवल सहित).[जैसा कि खंड संख्या XXI (11) में वर्णित है]**	
(क).	**खाली कंटेनर**	
	टीईयू	800
	एफईयू	1200
(ख).	**भरा हुआ कंटेनर**	
	टीईयू	1200
	एफईयू	1800
(viii).	धुलाई, आदि: सीएफएस कॉम्प्लेक्स के भीतर किसी भी स्थान से खाली कंटेनरों की धुलाई / सफाई / मरम्मत यार्ड और सीडब्ल्यूसी, सीएफएस कॉम्प्लेक्स के किसी भी स्थान पर वापस निर्धारित के रूप में (किसी भी अतिरिक्त पारिश्रमिक के बिना ठेकेदार द्वारा की जाने वाली धुलाई और सफाई) जैसा कि खंड संख्या XXI (12) में उल्लिखित है	
	टीईयू	1100
	एफईयू	1650
(ix).	एक ही गोदाम के भीतर एक जगह से किसी अन्य स्थान पर कार्गो की के भारोत्तलन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए स्थानांतरण।	
	श्रमिकों द्वारा	12
	उपकरणों द्वारा	14
(x).	सीडब्ल्यूसी-सीएफएस कॉम्प्लेक्स के भीतर एक जगह / गोदाम / सीवाई से किसी अन्य स्थान / गोदाम / सीवाई को तौल या अन्य उद्देश्य से माल की आवाजाही / स्थानांतरण (जैसा कि खंड संख्या XXI-14 में उल्लेख किया गया है)।	
	प्रति क्विंटल	14
(xi).	**पैलेटाइजेशन:** आवश्यकता के अनुसार पट्टियों की तैयारी सहित कार्गो के पैलेटाइजेशन के लिए श्रम प्रदान करना, आवश्यकता के अनुसार स्ट्रैपिंग करना (पैलेट तैयार करने के उद्देश्य से आवश्यक लकडी के फट्टे, पट्टियाँ, कीलें या अन्य सामग्री पार्टी द्वारा व्यवस्थित की जाएगी) निर्दिष्ट स्टैक में पैलेटों को स्टैक करना ([जैसा कि क्लाज XXI (15) में उल्लेख किया गया है)]	
	प्रति क्विंटल	15
(xii).	**बैगिंग:** अनबंधा कार्गो/बोरों वाले कार्गो को नये बोरों में रखने (सामग्री पार्टी द्वारा प्रदान की जाएगी), उनकी सिलाई, भारोत्तोलन(जहां भी आवश्यक हो) और उपयुक्त स्थान पर कार्गो रखने के लिए श्रमिक प्रदान करना। [क्लॉज XXI (16) में उल्लिखित]	
	प्रति क्विंटल	16
(xiii).	**कंटेनर की मरम्मत:** कंटेनर से कार्गो को बाहर निकालने के लिए श्रमिक और उपयुक्त उपकरण प्रदान करना और प्रबंधक (सीएफएस) द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उसी या अन्य नामांकित कंटेनर में कार्गो को रोकना [जैसा कि क्लॉक्स XXI (17) में उल्लेख किया गया है]	
(क).	25% तक का पुन:परिकलन	
	टीईयू	2200
	एफईयू	3300
(ख).	25% से अधिक का पुन:परिकलन	
	टीईयू	2600
	एफईयू	3900
(xiv).	**नगर को वापस अर्थात शट-आऊट कार्गो का लदान**	

	प्रति क्विंटल	11
(xv).	**'ताला-बंदी (लार्किंग) शुल्क'** (उपयोक्ता के अनुरोध पर):	
	प्रति कंटेनर	54
(xvi).	**फयूमीगेशन प्रभार**	
(क).	**मिथाइल ब्रोमाइड सहित फ्यूमीगेशन प्रभार**	
	टीईयू	2000
	एफईयू	3000
(ख).	**एल्युमीनियम फास्फेट सहित फ्यूमीगेशन प्रभार**	
	टीईयू	700
	एफईयू	1050
	नोट: यह एक वैकल्पिक सेवा होगी जो प्रासंगिक उपयोक्ता के अनुरोध पर प्रदान की जाएगी।	

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th November 2020

No.TAMP/06/2020-CWC.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby notifies the revised Scale of Rates disposing of the proposal of the Central Warehousing Corporation (CWC) for General revision of its Scale of Rates for services rendered by it at the Container Freight Station (CFS) at the Deendayal Port Trust (DPT) under Tariff Guidelines, 2019 as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case no.TAMP/06/2020-CWC

Central Warehousing Corporation --- Applicant

QUORUM:

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on this 28th day of October 2020)

This case relates to the proposal received from the Central Warehousing Corporation (CWC) for general revision of its Scale of Rates for services rendered by it at the Container Freight Station (CFS) at the Deendayal Port Trust (DPT) under Tariff Guidelines, 2019.

2.1. The CWC, vide its letter its letter dated 02 January 2020 and 29 February 2020 has filed a proposal for general revision of its SOR following Tariff Policy, 2019.

2.2. In accordance with the consultation process prescribed, a copy of the CWC proposal dated 02 January 2020 along with email dated 29 February 2020 was circulated to the users/user organisations seeking their comments.

2.3. A joint hearing in this case was held on 26 June 2020 through Video Conferencing. On scrutiny of the proposal, the CWC was requested vide our email dated 01 July 2020 and subsequent letter dated 28 July 2020 followed by reminder dated 14 August 2020 to furnish information/ clarifications on a few points.

2.4. In response, the CWC has furnished its reply on additional information/ clarification alongwith revised updated forms duly certified by the CA vide its letter dated 18 August 2020.

2.5. While furnishing the information/ clarification, the CWC has furnished the updated cost statements

based on the years 2016-17, 2017-18 and 2018-19 actuals as against 2015-16, 2016-17 and 2017-18 considered by the CWC in its original proposal.

3. Further, DPT was also requested vide our letter dated 01 July 2020 to furnish comments / information with reference to the updated cost statement to be furnished by the CWC. In response to the updated statement furnished by CWC vide its letter dated 18 August 2020, DPT vide its email dated 11 September 2020 has furnished the information / comments sought by us.

4. With reference to the totality of information collected during the processing of the case, this Authority has passed a Speaking Order disposing of the proposal filed by the CWC for general revision of its SOR under Tariff Guidelines, 2019.

5.1. The Speaking Order passed by this Authority is in the process of notification in the Gazette of India and it is likely to take some more time for notification. Since notification of the detailed Speaking Order will take some time, this Authority notifies the revised SOR of the CWC which is attached as **Annex**.

5.2. The Speaking Order passed by this Authority will be notified separately and communicated to the CWC, the DPT and the relevant users/ user organisations in due course of time.

5.3. The revised SOR will come into force after expiry of 30 days from the date of notification of this Order notifying the SOR in the Gazette of India and shall be valid for a period of 3 years from the date the revised SOR comes into effect.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./386/2020-21]

Annex

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

Scale of Rates

This Scale of Rates sets out the charges payable to the Central Warehousing Corporation for the services and facilities provided at its Container Freight Station at Deendayal Port Trust.

General Terms and Conditions.

(1). (i). The user shall pay penal interest @ 15% on delayed payments of any charge under this Scale of Rates. Likewise, the CWC shall pay penal interest on delayed refunds.

(ii). The delay in refunds will be counted only 20 days from the date of completion of services or on production of all the documents required from the users, whichever is later.

(iii). The delay in payments by the users will be counted only 10 days after the date of raising the bills by the CWC. This provision shall, however, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services as stipulated in the Major Port Trusts Act and/or where payment of charges in advance is prescribed in this Scale of Rates.

(2). The storage charges on abandoned FCL containers/shipper owned containers shall be levied upto the date of receipt of intimation of abandonment in writing or 75 days from the date of landing of container, whichever is earlier subject to the following conditions :

(i). The consignee can issue a letter of abandonment at any time.

(ii). If the consignee chooses not to issue such letter of abandonment, the container Agent/MLO can also issue abandonment letter subject to the condition that,

(a). the Line shall resume custody of container along with cargo and either take back it or remove it from the port premises; and

(b). the Line shall pay all port charges accrued on the cargo and container before resuming custody of the container.

(iii). The container Agent/MLO shall observe the necessary formalities and bear the cost of transportation and destuffing. In case of their failure to take such action within the stipulated period, the storage charge on container shall be continued to be levied till such time all necessary actions are taken by the shipping lines for destuffing the cargo.

(iv). Where the container is seized/confiscated by the Custom Authorities and the same cannot be destuffed within the prescribed time limit of 75 days, the storage charges will cease to apply from the date the Customs order release of the cargo subject to lines observing the necessary formalities and bearing the cost of transportation and destuffing. Otherwise, seized/confiscated containers should be removed by the Lines/consignee from the port

premises to the Customs bonded area and in that case the storage charge shall cease to apply from the date of such removal.

(3). Users shall not be required to pay charges for delays beyond a reasonable level attributable to the CWC.

(4). The SOR is subject to automatic annual indexation to inflation to the extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) announced by the Authority occurring between 1st January to 31st December of the relevant year. Such adjusted SOR will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of following year. The 1st annual indexation will be from 1 May, 2021. The indexed SOR by the CWC to be intimated by the CWC to the DPT, concerned users and to the Authority.

CHAPTER -I

GROUND RENT AND STORAGE CHARGES

1.1. Storage Charge

Sl. No.	Description of Service	Rate (in ₹)
A.	**IMPORT OPERATIONS**	
I.	**Storage Charges (Covered)**	
(i).	**On General (per MT / Day) Basis**	
(a).	Up to 3 days	Free
(b).	From 4th day to 30th day	6.65
(c).	31st days onwards	9.30
(ii).	**AREA (per sq. mtr.) BASIS**	
(a).	Weekly Tariff (per sq. mtr. per week*)	66.00
(b).	Monthly (Reservation Basis) (Per sq. mtr. per month*)	226.00
II.	**OPEN BONDED**	
(i).	**AREA (per sq. mtr.) BASIS**	
(a).	Free Period	No free period
(b).	Weekly Tariff (per sq. mtr. per week *)	30.00
(c).	Monthly(Reservation Basis) (Per sq. mtr. per month*)	100.00
B.	**EXPORT OPERATIONS**	
I.	**Storage Charges (Covered)**	
(i).	**On General (per MT / Day) Basis**	
(a).	Free Period	Upto 7 days
(b).	From 8th day onwards	6.65
(ii).	**Area (per sq. mtr.) Basis**	
(a).	Weekly Tariff (per sq. mtr. per week*)	66.00
(b).	Monthly(Reservation Basis) (Per sq. mtr. per month*)	226.00
(iii).	**Volume (per CBM) Basis(Open)**	
(a).	On Weekly Basis (per CBM per week*)	15.00
(b).	On Monthly Basis (per CBM per month*)	60.00

*Week / month will be charged on “per sq. per week / month or part thereof basis”

Notes:

(1). 7 days free period will be allowed for stuffing of export cargo.

(2). While counting free days Customs notified holidays and CFS non- operating days falling in between or succeeding the free period will not be counted.

(3). It will be presumed that the stock being received at the CFS, Deendayal port are adequately insured by the user against all possible risks during storage including interests of the Customs. Thus, in any eventuality, CWC shall not be responsible for any insurable claims/risks including consequential losses. Same assumption will also apply for export cargo warehouses.

However, in case the insurance cover is required by any party against the risk of fire, flood, cyclone, theft, etc., the same will be arranged by the CWC,CFS, Kandla on a written request, for which advalorem charge at the rate of 12.50 paise per ₹1000/- value of the stocks will be levied, per week or part thereof.

(4). For cargo stored in open area on the request of users, storage charges would be 25% less than the rate prescribed for covered area.

(5). 25% extra charges will be levied for hazardous cargo.

(6). Storage charge on cargo shall not accrue for the period when CWC is not in a position to deliver/shift the import/export cargo when required by the user.

(7). Considering the nature of cargo and other allied factors in respect of storage practice, the storage charges for metal scrap will be on area basis and for stone etc. charges will be on PMT basis.

1.2. Ground Rent

Loaded & Empty

Sl. No.	Description of Service	Rate per container per day (in ₹)
1.	**IMPORT OPERATIONS**	
(i).	**Ground Rent (Loaded Container) (per TEU / per day basis)**	
(a).	1 to 5 days	Free-including date of arrival
(b).	6 to 15 days	190.00
(c).	16 to 30 days	250.00
(d).	31st day onwards	500.00
2.	**EXPORT OPERATIONS**	
(i).	**Ground Rent (Loaded Container) (per TEU / per day basis)**	
(a).	1 to 3 days	Free
(b).	4 days to 15 days	190.00
(c).	16th day onwards	250.00
3.	**Ground Rent (Empty Container) (per TEU / per day basis)**	
(a).	Free period	30 days
(b).	31st day to 40 day	10.00
(c).	from 41st day onwards	30.00

FEU tariff will be double of TEU tariff.

Notes:

(1). All empty containers at CWC CFS will have 30 days free storage.

(2). Three days free period is allowed on export containers after stuffing and/ or sealing of the container.

(3). Five days free period including date of arrival of the container in the CFS will be allowed for import containers brought from DPT.

(4). While counting free days, Customs notified holidays and CFS non-operating days falling in between or succeeding the free period will not be counted.

(5). For reefer plugging facility charges @ ₹275/-per TEU and ₹400 per FEU per 4 hours or part thereof will be levied in addition to ground rent.

(6). It will be presumed that the stock being received at the CFS, Deendayal port are adequately insured by the user, against all possible risks during storage including interests of the Customs. Thus, in any eventuality, CWC shall not be responsible for any insurable claims/risks including consequential losses. Same assumption will apply for export cargo warehouses.

However, in case the insurance cover is required by any party against the risk of fire, flood, cyclone, theft, etc., the same will be arranged by the CWC,CFS, Kandla on a written request, for which advalorem charges at the rate of 12.50 paise per Rs. 1000/- value of the stocks will be levied, per week or part thereof.

(7). 25% extra charges will be levied for hazardous cargo containers/ oversized /over dimensional containers.

(8). Ground rent on container shall not accrue for the period when the CWC is not in a position to deliver/shift import/export containers for reasons attributable to the CWC.

CHAPTER-II

CONTAINER/CARGO HANDLING & TRANSPORTATION

Sl. no.	Description of Operations	Rate (in ₹)
A.	**IMPORT OPERATIONS**	
(i).	Import Loaded Movement + LO: Providing road vehicles at Container Yard, Kandla Port and taking over loaded containers placed by Terminal operators on the vehicles provided by the contractor, after due inspection of the condition of the container, the lock & seals and on completion of the required formalities, transporting the same to the Container Freight Station, CWC, Kandla Port (under custom escort wherever / whenever required), lift-off & stacking in the CY up to three high [As mentioned in Clause No. XXI –1	
	TEU	2800
	FEU	4200
(ii).	De-stuffing: De-stuffing the container as per the procedure laid down; inventorisation of the cargo and stacking the same in the Import Warehouse / Open Yard (preferably by means of mechanical equipment) and carrying empty containers to the ECY or any other designated area within the CFS Complex and stacking them three high [Irrespective of time lag between different operations as mentioned in Clause No.XXI-(2)	
(a).	General cargo	
	TEU	3000
	FEU	4500
(b).	Scrap/ Heavy cargo	
	TEU	3800
	FEU	5700
(iii).	Examination: De-stuffing of the loaded container stacked in the yard by grounding them, wherever necessary (which may include transportation within the complex) for facilitating custom examination and stuffing the cargo back into the same container or any other containers after custom examination or loading the cargo / container on to road vehicles and stacking the loaded / empty container as the case may be in the LCY / ECY or any other designated area. [As mentioned in clause no. XXI-3 (a)]	

(a).	General cargo	
	Cargo Handling examination up to 25%	
	TEU	1600
	FEU	2400
(b).	Cargo Handling examination beyond 25%	
	TEU	2200
	FEU	3300
(c).	Scrap/ Heavy cargo	
	TEU	2600
	FEU	3900
(iv).	**RMS Container Examination**: Retrieval of the loaded container stacked in the yard by grounding (which may include transportation within the complex) for facilitating Seal Verification and loading customs cleared loaded container on trailer. As mentioned in clause XXI-3(b)]	
	TEU	2500
	FEU	3750
(v).	Cargo Delivery: Arranging Customs examination of cargo (which would include unpacking and re-packing of packages, providing suitable straps etc., or weightment, sealing wherever required on free of charge), and placing them in the stacks / open yard, if necessary, and loading the entire consignment in to trucks / vehicles provided by the importer/CHA at the import warehouse/ open yard [As mentioned in Clause No .XXI(4)	
(a).	Cargo Delivery from Godown/Yard	Per QTL
	Manual	8.20
	Mechanical	10.20
(b).	Cargo delivery from Loaded Container	
	Manual	8.20
	Mechanical	10.20
B.	**EXPORT OPERATIONS**	
(i).	**Carting:** Unloading the cargo from the trucks / vehicles provided by CHA/Exporter/User at CWC, CFS complex and stacking the same in the Export Godown / Open Yard by means of suitable mechanical equipment or by any other appropriate means, after due inventorisation [As mentioned in Clause No. XXI(5)]	
	Manual (PER QTL)	8.20
	Mechanical (PER QTL)	10.20
(ii).	**Examination, Stuffing :** Providing labour or appropriate equipment and arranging custom examination (which would include unpacking and re-packing of packages providing suitable straps / scales or weighment wherever / whenever required on free of cost) and re-stacking, if necessary, and consolidating the stocks / cargo, shifting of nominated empty container after retrieving the same from CFS container yard, Placing the container , stuffing , locking & sealing and subsequent internal movement of the loaded container to make space available for keeping the next container for stuffing purpose. [As mentioned in clause no. XXI(6)	
(a).	A. General Cargo	
	TEU	3000

	FEU	4500
(b).	B. Scrap/ Heavy Cargo	
	TEU	4560
	FEU	6840
(iii).	**Direct Stuffing :** Unloading the cargo from the vehicles at CFS complex and stacking the same in the yard by means of suitable mechanical equipment or by any other appropriate means, after due inventorization. Providing labour or appropriate equipment for customs examination (which would include weighment wherever/whenever required on free of cost), and consolidating the nominated stocks/cargo, shifting the nominated empty container after retrieving the same from CFS container yard, Placing the container at Stuffing point, stuffing the let-export cargo in to the nominated container by use of suitable mechanical equipment or by other means, locking and sealing container on completion of required formalities after following the prescribed procedure, subsequent internal movement of the loaded container to make space available for keeping the next container for stuffing purpose. [As mentioned in Clause No. XXI(7)	
(a).	A. General Cargo	
	TEU	3500
	FEU	5250
(b).	B. Scrap/ Heavy Cargo	
	TEU	6000
	FEU	9000
(iv).	**Transportation of Export loaded container:** Providing road vehicles at CWC-CFS Kandla port, Lift-On, taking over the loaded Export Container and transportation of the same from CFS to CSY, Kandla Port (under custom escort wherever/ whenever required) and handing over the same to the port authorities, obtaining clear "EQUIPMENT INTERCHANGE REPORT" (EIR) & to submit the same to CWC-CFS authorities [As mentioned in Clause No.XXI(8)	
	TEU	2300
	FEU	3450
(v).	**GENERAL OPERATIONS**	
	Empty Container Movement: Providing suitable vehicles and arranging transportation of Empty Container after due inspection about condition of the container (A) from CSY- Kandla Port Trust to CWC-CFS Kandla Port (B) From any other CFS / Container yard within a road distance of 15 kms. from the CFS Kandla Port, to CWC-CFS Kandla Port, (Lift-on/off inside CSY Kandla Port/ Other designated Yard would not be on account of contractor) lift-off & stacking up to three high in CWC-CFS, CY or vice-versa [As mentioned in clause No. XXI (9)]	
(a).	**TO/FRO CFS-Kandla Port**	
	TEU	1100
	FEU	1650
(b).	**TO/FRO any Yard < 15 Kms**	
	TEU	1900
	FEU	2850

(vi).	Inland Container Shifting: Shifting of empty / loaded containers (including lift on/ lift-off) from one location to another location within the CWC-Container Freight Station Complex at the designated place including stacking the same upto three high by use of appropriate handling equipment. [As mentioned in clause No. XXI(10)]	
(a).	EMPTY CONTAINER	
	TEU	1000
	FEU	1500
(b).	LOADED CONTAINER	
	TEU	1400
	FEU	2100
(vii).	**Lift on / Lift off:** (including retrieval) of containers into / from road vehicles of parties at the Container Freight Station, CWC, Deendayal Port. [As mentioned in clause No. XXI (11)]	
(a).	**EMPTY CONTAINER**	
	TEU	800
	FEU	1200
(b).	**LOADED CONTAINER**	
	TEU	1200
	FEU	1800
(viii).	Washing, etc.: Shifting of empty containers from any location within CFS complex to Washing / Cleaning / Repair Yard and back to any location in the CWC, CFS complex as prescribed (washing and cleaning to be done by the contractor without any extra remuneration) As mentioned in clause No. XXI(12)	
	TEU	1100
	FEU	1650
(ix).	Movement / shifting of cargo from one place to any other place for weighment or other purpose, within same godown [As mentioned in clause No. XXI(13)(Rate Per QTL)	
	MANUAL	12
	MECHANICAL	14
(x).	Movement/ shifting of cargo from one place/ godown/ CY to any other place/ godown/ CY for weighment or other purpose, within CWC-CFS complex (As mentioned in clause no. XXI-14)	
	PER QTL	14
(xi).	**Palletization:** Providing the labour for palletization of cargo including preparation of pallets of appropriate size, strapping as per requirement (material i.e. ready wooden pallets, straps, nails or other material required for the purpose of preparation of pallets will be arranged by the party) & stacking the pallets in the designated stack ([As mentioned in Clause XXI (15)]	
	PER QTL	15
(xii).	**Bagging:** Providing labour for filling up loose cargo/ bag cargo in to the fresh bags (materials to be provided by the party), stitching them, weighment (wherever required) & stack the same at the appropriate place. [As mentioned in Clause XXI (16)]	
	PER QTL	16

(xiii).	**Reworking of Container:** Providing the labour and appropriate equipment for destuffing of the cargo from the container and restuffing the cargo in the same or other nominated container after completing the formalities as required by Manager (CFS) [As mentioned in clause XXI (17)]	
(a).	Reworking up to 25%	
	TEU	2200
	FEU	3300
(b).	Reworking beyond 25%	
	TEU	2600
	FEU	3900
(xiv).	**Back to town** i.e. Loading of Shut out cargo	
	PER QTL	11
(xv).	**Locking Charges** (On user's request):	
	PER Container	54
(xvi).	**Charges for Fumigation**	
(a).	Fumigation Charges with Methyl Bromide	
	TEU	2000
	FEU	3000
(b).	Fumigation Charges with Aluminium Phosphide	
	TEU	700
	FEU	1050
	Note: This will be an optional service provided at the request of the relevant user.	

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM